

डिक्री मुकदमा इब्तदाई 13

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवर्ड अधिकारी मुकाम टोडाभीम व
 इजलास पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R. A. D.
उन्वान

गोरधन पुत्र हरवक्शा
 निमीना मुख 1/1 खिल्लाडी
 गोरधन जाति मीना
 राजो ली वर टोडाभीम
 जे ला

बनाम

मेवा पुत्र मोरया जाति कुम्हार (अतक)
 नि-राजो ली 1/1 पु. वृ. मन्ती बेका
 मेवा 1/2 जी ल्या पुत्र मेवा 1/3
 मदन पुत्र मेवा 1/4 के शन्ती फुली
 मेवा पालि हरगुन जाति कुम्हार
 नि राजो ली
 स्टेट आफ् राजस्थान जिला कलक्टर कैरोली
 स्टेट आफ् राजस्थान जिले के टोडाभीम
 मुकदमा नं० 90 सन् 2011

बाबत यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई सुरेश चन्द शर्मा अव. व हाजिरी
बेमेश चन्द सेनी निज. मिनेकानिब गुदई सबरु हमोर

निब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि
वादी खिल्लाफ उत्तिवादी शर्का खारिज
किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 रह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 का अदा करें।
 दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 माह 6 सन् 2016
 को जारी की गई।
 मुहर उपरजिला कलक्टर
 ओहदा टोडाभीम (कसैली)

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
ना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए ।